संख्या-27/2026/001-9-7099-255-2025-COM. NO. 1975407

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ.प्र. लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 10 मार्च, 2026

विषयः-"मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)" (सी.एम. ग्रिड्स) योजनान्तर्गत नगर निगम फिरोजाबाद में "ककरऊ कोठी जंक्शन से सैलई पुलिया चौराहा तक समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य" की स्वीकृति।

महोदय,

मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूरिडा के पत्र संख्या संख्या-431/यूरिडा-03(III))/डी.पी.आर./2025-26, दिनांक 24.09.2025 द्वारा नगर निगम फिरोजाबाद में "ककरऊ कोठी जंक्शन से सैलई पुलिया चौराहा तक समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य" हेतु अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष रूपये 6050.08 लाख का परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूरिडा के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24.09.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त नगर निगम फिरोजाबाद में विषयगत सड़क के विकास कार्य हेतु निम्नलिखित तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार, कुल धनराशि ₹56,62,71,000 (रूपया छप्पन करोड़ वासठ लाख इकहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष राज्यांश के रूप में प्रथम किश्त की धनराशि ₹17,83,75,000

(रूपये सत्तर करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

कार्य का नाम	परियोजना लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	मूल्यांकित लागत में राज्यांश (90%) की धनराशि	मूल्यांकित लागत में निकायांश (10%) की धनराशि	मूल्यांकित लागत की प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली राज्यांश की धनराशि	मूल्यांकित लागत की प्रथम किश्त के रूप में उपयोग/वहन की जाने वाली निकायांश की धनराशि
1	2	3	4	5	6
नगर निगम, फिरोजाबाद में "ककरऊ कोठी जंक्शन से सैलई पुलिया चौराहा तक समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य"	5662.71	5096.44	566.27	1783.75	198.19

नियम एवं प्रतिबंध/शर्तें

(1) स्वीकृत धनराशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एजेन्सी (यूरिडा) द्वारा योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार अनुमन्य कार्यों के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था/नगर निकाय की होगी तथा कार्यदायी संस्था/नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) सी०एम०ग्रिड के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत कार्यों के पुनरीक्षण की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व नगर निकाय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कार्य औचित्यपूर्ण है तथा भविष्य में प्रायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(5) नगरीय निकाय द्वारा प्रायोजना पर वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26-08-2014 के प्रस्तर-5 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये तथा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाये।
(6) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाये, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
(7) मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) (सीएम-ग्रिड्स) के दिशा-निर्देश सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/नगरीय निकाय का होगा।
(8) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में दिव्यांगजन हेतु हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार नगरीय निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है । नगरीय निकाय/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही नगरीय निकाय/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/ 2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(12) प्रायोजना में यूटीलिटी शिफ्टिंग हेतु विस्तृत आगणन के आधार पर विद्युत लाइन की शिफ्टिंग हेतु रू० 1376.57 लाख को सम्मिलित करते हुए लागत का आंकलन किया गया है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व नगर निकाय द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यों का Verification & revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तद्नुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी। साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग करने हेतु एन0एच0ए0आई0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण के व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुनः आवश्यकता न हो। यूटिलिटी शिफ्टिंग से प्राप्त मैटेरियल की सैलवेज वैल्यू को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जाये।

(13) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों से तकनीकी स्वीकृति, स्वामित्व का प्रमाण-पत्र तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष

व्यय धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाये तथा बचत धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाये।

(14) प्रयोजनान्तर्गत आपरेशन एवं मेन्टीनेन्स मद में 5 वर्षों हेतु निर्माण लागत का 2.50 प्रतिशत धनराशि अनुमन्य करते हुए लागत का आंकलन किया गया है। इस मद में धनराशि अनुमन्यता की सीमा तक वास्तविक आधार पर देय होगी। नगरीय निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा मार्गों के अनुरक्षण/मेन्टीनेन्स हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(15) नगर निकाय द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/नगरीय निकाय का होगा।

(17) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

(18) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। नगरीय निकाय द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(20) प्रायोजना का निर्माण कार्य आई०आर०सी० के मानकों के अनुरूप कराये जाने का उत्तरादायित्व नगरीय निकाय/कार्यदायी संस्था का है।

(21) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कतिपय कार्यमदें यथा-गार्डन बैंच, डस्टबिन, ड्रेन कवर, लाइट एण्ड फिक्सर्स, डेकोरेटिव लाइट इलैक्ट्रिक पोल, एल०ई०डी० लाइट आदि कार्य कोटेशन/बाजर दर पर प्रस्तावित की गयी हैं। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर

कोटेशन प्राप्त करें। अतः प्रशासनिक विभाग/कार्यदायी संस्था से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
(22) प्रायोजना प्रस्ताव में कतिपय कार्य पुराने स्ट्रक्चर को तोड़कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। ध्वस्तीकरण के पश्चात् मलवे से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(23) नगरीय निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत नगर निगम द्वारा प्रस्तावित मार्ग निर्माण कार्य/स्ट्रीट लाइट एवं यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा विद्युत पोल शिफ्टिंग/अण्डरग्राउण्ड लाइन के निर्माण में कार्यों की द्विरावृत्ति न हो।

(24) प्रायोजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विसेज की स्थापना हेतु डक्ट का निर्माण लोक निर्माण विभाग के शासनादेश दिनांक 08.06.2023 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाये। साथ ही कार्यदायी संस्था द्वारा मार्गों के अनुरक्षण/मेन्टीनेन्स हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(25) कार्यदायी संस्था विभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मार्ग के स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जायें।

(26) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
(27) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
(28) संबंधित नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(29) संबंधित नगर निकाय का यह दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(30) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की कार्य स्थल पर स्थापित किये गये डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(31) उपरोक्त योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(32) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से उतनी ही धनराशि आगामी वर्षों में निकायों को अवमुक्त की जायेगी, जितना कि उनके द्वारा राजस्व संग्रहण में वृद्धि के आधार पर योजनान्तर्गत आवंटित होगी। यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ निकायों द्वारा राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि नही की जा सकी, तो कार्ययोजना में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था उनके द्वारा स्वयं के संसाधनों से करना होगा।

(33) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे, यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(34) शासनादेश संख्या-2112/नौ-7-2023-03 (ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत योजना दिशा-निर्देशों एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2134/नौ-7-2023-03(ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 के प्राविधानों के साथ समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(35) इस संबंध में व्यय वित्त समिति की परीक्षण आख्या संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त परीक्षण आख्या में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,83,75,000 (रूपये सत्तर करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217058001100 मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम(अर्बन) (सीएम-ग्रिड्स) मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा अशासकीय संख्या-E-9-241-X-2025-26, दिनांक 25.02.2026 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 10-03-2026
10:40:06
(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या-27(1)/2026/001-9-7099-255-2025-1975407, **COM.NO.1975407**,तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सी.ई.ओ. यूरिडा लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद, उ.प्र.।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
संजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।